

1	नाम कर्मधारी : पद :					PAN :	
2	आय : वर्ष-2020-21 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)					रु.	
3	गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य भते जो कर मुक्त है।					रु.	
4						शेष (2-3)	रु.
5	(i) स्टेण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia)						
	(ii)मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)						
	(iii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत						
						योग (5)	रु.
6						शेष (4-5)	रु.
7	(अ)गृह सम्पत्ति से आय:(1) स्वयं के उपयोग में -शून्य		(2) प्राप्त किराया रु.			योग 7(ब)	
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर			
						शेष - /+(7(अ) एवं योग 7(ब) का)	रु.
8						कुल शेष - /+(6एवं 7)	रु.
9	अन्य आय						रु.
10	सकल आय					योग (8+9)	रु.
11	घटाइये कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC,80CCD (1)						
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE) , (धारा 80CCD (2), के अलावा						
	(i) राज्य बीमा (SI)	रु.	(xi) सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF	रु.			
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	रु.	अधिकतम वेतन का 10% धारा 80CCD(1)	रु.			
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	रु.	(xii) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)	रु.			
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	रु.	(xiii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	रु.			
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	रु.	(xiv) टयूशन फीस	रु.			
	(vi) सामान्य प्रावधायी निधि (GPF)	रु.	(xv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.			
	(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	रु.	(xvi) स्थगित वार्षिकी (Deffered Annuity)	रु.			
	(viii) यू. एल. आई. पी./वार्षिक प्लान	रु.	(xvii) पी.एल.आई. (PLI)	रु.			
	(ix) गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	रु.	(xviii) अन्य जमा राशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु.			
	(x) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु.	(xix) योग (i से xviii)	रु.			
						अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक	रु.
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट						
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)						रु.
						योग 11(A+B+C)	रु.
12	अन्य कटौतियाँ						
	1.धारा 80 D ,चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयंप्रति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000,सीनियर सिटीजन रु 50000)					रु.	
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)					रु.	
	3. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)					रु.	
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज					रु.	
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)					रु.	
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995के अनुसार 125,000)					रु.	
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000 U/S 194(IA)						
	8. धारा 80 ITB -वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50000 रु. U/S 194(A)					रु.	
	9. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान					रु.	
						कुल योग 12 (1 से 9 तक)	रु.
13	कुल कटौती (11 + 12)					रु.	
14	कर योग्य आय (10 - 13)					रु.	
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A					रु.	
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर						
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु		
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil			रु.
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,000 तक	Nil	रु.
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	रु.
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	रु.
	(1) योग आयकर					रु.	
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)					रु.	
	(3) शेष आयकर (1-2)					रु.	
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)					रु.	
	कुल आयकर (3+4)					रु.	
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत					रु.	
18	कुल शेष आयकर					रु.	
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2020 तक रुपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2020 रुपये	जनवरी 2021 रुपये	फरवरी		

Signature of Employee

Signature of DDO

1	नाम कर्मचारी :	पद :	PAN :
2	आय : वर्ष-2020-21 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)		
3	गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य भते जो कर मुक्त है।		
4	शेष (2-3)		
5	(i) स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia) (ii) मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000) (iii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत		
	योग (5)		
6	शेष (4-5)		
7	(अ) गृह सम्पत्ति से आय: (1) स्वयं के उपयोग में - शून्य (2) प्राप्त किराया रु.		
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज
			गृहकर
	योग 7(ब)		
	शेष - / + (7(अ) एवं योग 7(ब) का)		
8	कुल शेष - / + (6 एवं 7)		
9	अन्य आय		
10	योग (8+9)		
11	घटाइये कटौतियाँ :-		
	(A) धारा US 80C, 80CCC, 80CCD (1) अधिकतम कटौती की राशि		
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोजित द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट		
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)		
	योग 11(A+B+C)		
12	अन्य कटौतियाँ		
	1. धारा 80 D , चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं, पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000, सीनियर सिटीजन रु 50000)		
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)		
	3. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)		
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज		
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)		
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125,000)		
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000 U/S 194(IA)		
	8. धारा 80 ITB - वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50000 रु. U/S 194(A)		
	9. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान		
	कुल योग 12 (1 से 9 तक)		
13	कुल कटौती (11 + 12)		
14	कर योग्य आय (10 - 13)		
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A		
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर		
	80 वर्ष या अधिक आयु		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)
	3,00,000 तक	Nil	3,00,000 तक
	3,00,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000
	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000
	7,50,001 - 10,00,000	15%	7,50,001 - 10,00,000
	10,00,001 - 12,50,000	20%	10,00,001 - 12,50,000
	12,50,001 - 15,00,000	25%	12,50,001 - 15,00,000
	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक
	(1) योग आयकर		
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)		
	(3) शेष आयकर (1-2)		
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)		
	कुल आयकर (3+4)		
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत		
18	कुल शेष आयकर		
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2020 तक रुपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2020 रुपये
			जनवरी 2021 रुपये
			फरवरी 2021 रुपये
			टी.डी.एस. रुपये
	कुल टैक्स कटौती योग कॉलम 19		
	Income Tax Payable/Refundable		

Signature of Employee

Signature of DDO